



श्रम को आर्थिक सम्बल और स्वाभिमान का सम्मान

“कोरोना महामारी की चुनौतियों के बीच देश ने हमारे कामगारों की संघर्ष और संकल्प शक्ति को देखा है। हमारी सरकार उनके हितों को सुनिश्चित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है।”

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

के तहत जरूरतमंद कामगारों
को मिलने वाली राहत में बढ़ोतरी



अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) के अंतर्गत
बढ़े लाभ एवं पात्रता शर्तों में छूट

राहत दर औसत मजदूरी का 25% से बढ़ाकर 50% की गई।

राहत राशि का भुगतान सीधे बीमाकृत व्यक्ति के बैंक खाते में।

योजना 30 जून, 2021 तक बढ़ाए जाने के साथ इसमें 31 दिसंबर, 2020 तक राहत लाभ में बढ़ोतरी एवं शर्तों में छूट दी गई है।

बीमाकृत व्यक्ति अपना आवेदन ऑनलाइन कर, हार्ड कॉपी में दावा सीधे अपने संबंधित ईएसआईसी शाखा कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

योजना के अंतर्गत जानकारी एवं राहत हेतु दावा प्रस्तुत करने के लिए, कृपया www.esic.in पर विज़िट करें।



श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय
भारत सरकार



कर्मचारी राज्य बीमा निगम